कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.– 07662–241655 | ई–मेल– deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स नं.– 07662–251167 | वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

क्रमांक ....187..../स्था./राज./एमसी/विज्ञप्ति/2023 रीवा, दिनांक 3/1/23

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 4–32/2017/1–55, भोपाल, दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत **सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा** में स्वीकृत **सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट** के निम्नांकित रिक्त पदों पर निश्चित **समयावधि (Tenure) 3 वर्ष** हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट की भर्ती हेतु निर्धारित वॉक इन इन्टरव्यु के अनुक्रम में आगामी साक्षात्कार हेतु निम्नलिखित विवरण रिक्तियों की पूर्ति हेतु विचार किया जावेगा :–

दिनांक 03.01.2023 की स्थिति में

साक्षात्कार का दिन एवं समय	:– *दिनांक 13.01.2023, दोपहर 12:00 बजे*
आवेदन करने की अंतिम तिथि	:– *दिनांक 10.01.2023, सायं 05:00 बजे तक*

सीनियर रेसीडेन्ट (मासिक शिष्यावृत्ति रू. 80,811/– प्रतिमाह)

क्र.	विषय का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				
			अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	ई.डब्ल्यू.एस.
1.	एनेस्थेसिया	02	–	01	–	01	–
2.	न्यूरो सर्जरी	05	01	02	02	–	–
3.	नेफ्रोलॉजी	06	02	01	02	01	–
4.	यूरोलॉजी	02	–	01	–	–	01
5.	कार्डियक सर्जरी (सी.टी.व्ही.एस.)	04	01	01	01	–	01
6.	रेडियोडायग्नोसिस	06	03(1F)	01	01	01	–
7.	कार्डियोलॉजी	03	–	01	01	–	01
	योग	**28**	**07**	**08**	**07**	**03**	**03**

जूनियर रेसीडेन्ट (मासिक शिष्यावृत्ति रू. 56,355/– प्रतिमाह)

क्र.	विषय का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				
			अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	ई.डब्ल्यू.एस.
1.	एनेस्थेसिया	02	01	–	–	01	
2.	नेफ्रोलॉजी	03	02	–	–	01	
3.	न्यूरोसर्जरी	03	01	–	01	01	
4.	कार्डियोलॉजी	01	–	–	–	01	
5.	यूरोलॉजी	03	02	–	–	01	
6.	कार्डियक सर्जरी (सी.टी.व्ही.एस.)	02	01	–	–	01	
	योग	**14**	**07**	–	**01**	**06**	

क्रमशः पेज...02

पदों एवं विषयों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है, जिसकी जानकारी समय–समय पर चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेब साइट **www.ssmcrewa.com** पर उपलब्ध की जावेगी।

नोट :–

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा ।
2. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी संवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरी जावेगी। अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी सकेगी ।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।

शर्ते :–

1. **अवधि :** सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा–अवधि (**Tenure**) तीन वर्ष की होगी । प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी । तत्पश्चात सेवायें सन्तोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

2. **नियुक्ति का तरीका :** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम. सी.एच. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

3. **आवेदन शुल्क :** सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ **रू 750/–** एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को **रू 500/–**राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अधिष्ठाता स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (CEO & DEAN SSMC REWA) के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम,पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी ।

4. **शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता**

(क) सीनियर रेसीडेन्ट :–

- मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में एम.डी/एम.एस./डी.एन.बी. (सामान्य विशेषज्ञता) डिग्री.
- एम.सी.एच./डी.एम. डिग्री को प्राथमिकता दी जावेगी।
- अधिकतम आयु –45 वर्ष।
- म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र पृ.क्र.डी–746/587/2010/1/55 दिनांक 06.03.2010 अनुसार जिन चिकित्सकों ने विज्ञापन निकालने के दिनांक से 05 वर्ष के भीतर अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है वे ही इस पद के लिये पात्र होगे। उन्हे निजी प्रेक्टिस की प्रात्रता नहीं होगी।

क्रमशः पेज–03

(ख) <u>जूनियर रेसिडेन्ट :–</u>

- मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री।
- म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र पृ.क्र.डी–951/715/2010/1/55, भोपाल, दिनांक 23.03.2010 अनुसार जिन चिकित्सकों ने विज्ञापन निकालने के दिनांक से 03 वर्ष के भीतर अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है वे ही इस पद के लिये पात्र होगे। उन्हे निजी प्रेक्टिस की प्रात्रता नहीं होगी।

(ग) इस चिकित्सा महविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को यथासंभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं द्वितीय प्राथमिकता म.प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।

5. **यात्रा भत्ता** :– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।

अन्य शर्ते :–

1. नियुक्त चिकित्सकों को वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 01 दिवस के साप्तहिक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. यदि आवेदक किसी शासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. उम्मीदवार को म0प्र0 राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।
9. साक्षात्कार अधिष्ठाता कार्यालय के सभाकक्ष में निर्धारित रहेगा। अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार अगले कार्य दिवस में आयोजित किया जावेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी ।

3/1/23

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

187-93

पृ.क्र.........../स्था./राज./एमसी/2023 रीवा, दिनांक 3/1/23

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
3. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
4. अधिष्ठाता – मेडिकल कॉलेज, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/सागर/विदिशा/शिवपुरी/शहडोल/दतिया/रतलाम/खण्डवा/छिंदवाड़ा की ओर भेजकर अनुरोध है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस को चस्पा कराने हेतु कष्ट करें।
5. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा।
6. कार्यालय/पी.जी./यू.जी एवं कन्या छात्रावास नोटिस वोर्ड में चस्पा हेतु ।

3/1/23

02/01/23

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

D:\old computer\Senior&Junior Resident\New Advertisement SR JR SSB\New Advertisement SR JR SSB.docx